निर्णय ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 76/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

रामेश्वर पुत्र चौथू जाति गुर्जर निवासी छापर की ढाणी, अचरोल तहसील आमेर, हाल निवासी ग्राम रामपुरावास, सामरेड, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री राकेश कुमार मीना तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर ।
2. रामनाथ पुत्र कालू बलाई निवासी ग्राम सामरेड खुर्द, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत तहसीलदार जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 02/2022 ब उनवानी रामनाथ बनाम हनुमान व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री सुनील शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री नेमीचन्द जलवानिया अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 02.05.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार जमवारामगढ के समक्ष प्रकरण संख्या 02/2022 ब उनवानी रामनाथ बनाम हनुमान व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री नेमीचन्द जलवानियां ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम सामरेड खुर्द व ग्राम रामपुरावास सामरेड की कांकड सीमा पर स्थित है जिसके सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 2 ने तहसीलदार जमवारामगढ के समक्ष प्रार्थना पत्र 183 बी का प्रस्तुत किया था जिसका फैसला सन् 2008 में किया जाकर पत्रावली ड्रोप कर दी गई थी। जिसको 14 साल बाद पुन रिओपन कर दिया गया जबकि कानूनन रूप से किसी भी निर्णय की कियान्विति 12 साल बाद नहीं करवाई जा सकती । तहसीलदार जमवारामगढ ने विधि के विपरीत सभी हितबद्ध पक्षकारों को नोटिस दिये बिना कार्यवाही चालू कर दी, जिसमें समुचित अवसर

सुनवाई हेतु प्रार्थी को नहीं दिया गया। अप्रार्थी संख्या 2 राजनैतिक पहुंच वाला व्यक्ति है जिसके प्रभाव में दिनांक 28.03.2022 को ही तहसीलदार जमवारामगढ ने बिना जबाब लिये ही अप्रार्थी संख्या 2 के दबाव में प्रार्थी को खुलकर चेतावनी दे दी कि आप जबाब पेश करो या मत करो, मै आपको बेदखल करके रहूंगा। जिस पर प्रार्थी के अधिवक्ता ने आपत्ति की कि जब पत्रावली पूर्ण हुये बिना ही आप आज ही आदेश सुना दिये तो आगे भी आप अपनी मर्जी अनुसार बेदखल करने की मंशा बना रखी है, तब तहसीलदार जी ने कहा कि मैने पूरी मंशा बना ली है। पत्रावली पूर्ण है या नहीं लेकिन मै अगली पेशी पर तुम्हारे विरूद्ध बेदखली के आदेश करके रहूंगा । इससे स्पष्ट है कि जो अधिकारी बिना पत्रावली में बहस सुने, बगैर जबाब लिये पूर्व में ही बेदखल करने के आदेश दे रहा है, वह व्यक्ति दस्तोवेजों के अनुरूप विधिक न्याय नहीं कर सकता है । ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण को तहसीलदार जमवारामगढ सें अन्यत्र मुन्तकिल किया जाना कानूनन आवश्यक है। प्रकरण में दोनों पक्षों की मौजूदगी में सेटलमेन्ट टीम की रिपोर्ट नहीं होते हुये भी आधी अधूरी रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार जमवारामगढ ने निर्णय करने की धमकी दे दी, जिससे प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है । प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.03.2022 को पत्रावली की नकल हेतु आवेदन किया जिसकी नकल प्रार्थी को दिनांक 30.03.2022 को प्राप्त हुई, तब प्रार्थी ने देखा कि तहसीलदार जी चैम्बर में अप्रार्थी संख्या 2 को साथ लेकर बैठे हुये थे और आपस में बातें करते हुये तहसीलदार जी कह रहे थे कि पुलिस फोर्स मैं उसी दिन भेज दूंगा। जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी को बिना सुने ही गैर विधिक प्रकिया द्वारा प्रकरण का निस्तारण करना चाहते है। इसलिए इस आधार पर स्पष्ट है कि तहसीलदार जमवारामगढ से प्रार्थी को न्याय की उम्मीद नही है। प्रकरण में बिना बहस हुये ही तहसीलदार जमवारामगढ ने प्रकरण में दिनांक 28.03.2022 की आदेशिका से भी स्पष्ट है कि तहसीलदार जमवारामगढ दबाव पूर्ण तरीके से प्रकरण को अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में करना चाहते है जबकि अप्रार्थी संख्या 2 का आवंटन से लेकर आज तक कभी भी कब्जा नहीं रहा है तथा दोनों गांवों की कांकड सीमा का पुख्ता सीमाज्ञान नहीं हुआ है। इस आधार पर प्रार्थी को पूर्ण अंदेशा है कि प्रार्थी को प्रकरण में सुने बिना ही अन्तिम निस्तारण किया जा सकता है। इसलिए प्रकरण को तहसीलदार जमवारामगढ से सुनवाई हेतु अन्यत्र भेजा जावे ।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अप्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है जिसकी खातेदारी भूमि पर प्रार्थी ने कब्जा कर रखा है इस बाबत तहसीलदार जमवारामगढ के समक्ष धारा 183 बी का मामला विचाराधीन है। उसके निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. तहसीलदार जमवारामगढ ने अपनी टिप्पवणी में अंकित किया है कि उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के पत्रांक पीए/2022/1391 दिनांक 24.03.2022 व माननीय मानव अधिकार आयोग के पत्रानुसार तुरन्त कार्यवाही के आदेश को रिकार्ड पर लेते हुये आदेश की पालना की गई है। बाकी कथन मनगढन्त, बेबुनियाद व निराधार अंकित किये है। उक्त परिवाद निस्तारण नहीं होने से माननीय मानव अधिकार आयोग द्वारा गम्भीरता से लिया गया है। जिस सम्बन्ध में अतिरिक्त जिला

कलक्टर
जयपुर

मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण एव एवं प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा जयपुर के पत्रांक न्याय/गुप–2(12) 2017/538 दिनांक 30.03.2022 की अनुपालना में उक्त प्रकरण को तीन दिवस में प्रार्थी को कब्जा दिलवाने हेतु पाबन्द किया जाकर की गई कार्यवाही से अविलम्ब अवगत कराने हेतु आदेशित किया गया है। इस लिए प्रकरण का अविलम्ब निस्तारण किया जाना अति आवश्यक है।

8. तहसीलदार जमवारामगढ ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा प्रकरण का निस्तारण नहीं किये जाने पर माननीय मानव अधिकार आयोग द्वारा गम्भीरता से लिया गया है। अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 28.03.2022 की आदेशिका में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है। इसलिए तहसीलदार जमवारागढ द्वारा नजदीकी तारीख पेशी दी जाकर यथा सम्भव शीघ्र निस्तारण हेतु सुनवाई की जा रही है। प्रार्थी ने दिनांक 28.03.2022 की आदेशिका को मुन्तकिल किये जाने का आधार बताया है, किन्तु इस आदेशिका में ऐसा कुछ नहीं पाया गया जिससे प्रार्थी के कथन को बल मिलता हो। प्रार्थी ने अपने कथनों की पुष्टि में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं तहसीलदार जमवारामगढ से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

9. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा तहसीलदार जमवारामगढ को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 02.05.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(सज्जन विशाल)
जिला कलक्टर
जयपुर